न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–111/2021

ध्रुप यादव एवं अन्य..वादीगण

बनाम

प्रभु भगत एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.04.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0– 2(क) ता 2(ग) एवं प्रतिवादी सं0–03 ता 05 की तरफ से ब्यान तहरीरी स्वीकार करने हेतु एक आवेदन दिनांक 19.01.2024 को दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 01.04.2026 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0– 2(क) ता 2(ग) एवं प्रतिवादी सं0–03 ता 05 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में पूर्व से प्रतिवादी सं0–01, 03, 04 एवं 05 की ओर से ब्यान तहरीरी दाखिल कर दिया गया है, उसी ब्यान तहरीरी को हम प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की ओर से भी दाखिल ब्यान तहरीरी समझी जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01, 03, 04 एवं 05 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिवादी सं0– 2(क)–2(ग) एवं प्रतिवादी सं0–03 ता 05 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी मानने की कृपा की जाए। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं0– 2(क) ता 2(ग) एवं प्रतिवादी सं0–03 ता 05 के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0– 2(क)–2(ग) एवं प्रतिवादी सं0–03 ता 05 की ओर से एक आवेदन दिनांक 19.01.2024 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं0–01, 03, 04 एवं 05 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिवादी सं0– 2(क)–2(ग) एवं प्रतिवादी सं0–03 ता 05 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी मानने की कृपा की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–111/2021

ध्रुप यादव एवं अन्य...वादीगण

बनाम

प्रभु भगत एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **01.04.2026**	भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित प्रतिवादी सं0– 2(क) ता 2(ग) एवं प्रतिवादी सं0–03 ता 05 का आवेदन दिनांक 19.01.2024 को स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 12.05.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	